राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईनिंग की अंतिम तिथि 10.02.2026

जयपुर, 24 जनवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए सत्र 2025–26 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की दिनांक 02.01.2026 को मुख्य मैरिट सूची जारी कर उनको आवंटित कोचिंग संस्थान के सूचीबद्ध कोचिंग केन्द्र पर अपनी इच्छानुसार ज्वॉईन किये जाने की अंतिम तिथि 10.01.2026 निर्धारित की गई थी।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मैरिट सूची में से योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को आवंटित कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि 10.01.2026 तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन नहीं किया गया, उन अभ्यर्थियों हेतु पुनः दिनांक 24.01.2026 से दिनांक 10.02.2026 तक ज्वॉईन किये जाने का विकल्प सम्बधित कोचिंग संस्थान की एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित करवा दिया गया है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2025–26 हेतु जारी मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से ज्वॉईनिंग किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि 10.01.2026 तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन नहीं किया गया था, **ऐसे अभ्यर्थी उनकी एसएसओ आईडी पर प्रदर्शित कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेन्टर पर अंतिम तिथि 10.02.2026 तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते है।**